राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः– प.6(262)परि/कर/मु./2007/9710 जयपुर, दिनांकः 11/6/19

कार्यालय आदेश 10/2019

विभाग द्वारा अन्य राज्य में पंजीकृत तथा अस्थाई उपयोग के लिये राजस्थान राज्य में आने वाले संन्निर्माण उपस्कर यानों (construction equipment vehicles) तथा परिवहन यानों की कर देयता हेतु अधिसूचना संख्या प.6(252)परि/कर/मु./05/4जी–163 दिनांक 09.03.2007 प्रवृत की गई थी।

संज्ञान में लाया गया है कि कतिपय जिला परिवहन अधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्र में संचालित उपरोक्त प्रकार के वाहनों द्वारा उक्त अधिसूचना के तहत् कर जमा किये जाने के बावजूद 30 दिवस से अधिक राजस्थान राज्य में संचालित होने पर राजस्थान राज्य में पंजीकृत संन्निर्माण उपस्कर यानों से एक बारीय कर जमा कराये जाने की मांग की जाती है। यह स्थिति कराधान अधिकारी के स्तर पर नियम एवं प्रावधानों की सुपष्ट एवं सटीक व्याख्या नहीं करने के कारण उत्पन्न होती है।

उपरोक्त के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा अन्य राज्य के संन्निर्माण उपस्कर यान/परिवहन यानों के लिये राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4(1)(C) के तहत् कर आरोपित करने की शक्ति प्रदान की है जो निम्न प्रकार से निर्धारित है –

4. Imposition of tax.- (1) Save as otherwise provided by this Act or by the Rules made thereunder or any other law for the time being in force, there shall be levied and collected on all motor vehicles used or kept for use in the State,-

(c) a tax in respect of motor vehicles registered outside the State and using roads in Rajasthan, at such rates, as may be notified by the State Government in the Official Gazette which shall not exceed Rs. 500/- per seat for 7 days or part thereof in case of passenger vehicles and shall not exceed Rs. 250/- per thousand Kg. Gross Vehicle Weight/Registered Laden Weight or part thereof for 30 days or part thereof in case of goods vehicles and shall not exceed Rs. 5000/- per thousand Kg. of Unladen Weight or part thereof for 30 days or part thereof in case of Construction Equipment Vehicles;

उपरोक्तानुसार अन्य राज्यों के CEV के लिये कर देयता 4(1)(c) में प्रावधानित है जबकि इससे भिन्न अपरिवहन यानों के लिये कर देयता 4(1)(b) में निर्धारित है। राजस्थान मोटरयान कराधान नियम, 1951 के नियम 4(A)(i)(a) के अनुसार अन्य राज्यों से खरीदकर राजस्थान राज्य में उपयोग किये जाने वाले वाहनों के लिये एकबारीय कर आरोपित किये जाने के लिये निम्न प्रणाली निर्धारित की गई है –

4. Mode of payment of tax and procedure thereof.-

(A) If the tax is to be paid :-

(i) as a one time tax under section 4(1)(b),-

(a) when the vehicle is purchased or brought into State, within 30 days of purchase of vehicle or bringing the vehicle into the State or on the date of registration or assignment of the vehicle in the State, whichever is earlier;

राज्य के कतिपय कराधान अधिकारी द्वारा उपरोक्त नियम का आख्यान करते देते हुये अन्य राज्य में पंजीकृत संन्निर्माण उपस्कर यान के अल्प अवधि के लिये राजस्थान में 30 दिवस से अधिक के संचालन पर राजस्थान राज्य में पंजीकृत संन्निर्माण उपस्कर वाहन के समान एकबारीय कर की मांग की जाती है।

राजस्थान मोटरयान कराधान नियम, 1951 के नियम 28(i) के अनुसार भी निजी वाहनों के लिये कर देयता एवं संन्निर्माण उपस्कर यान की कर देयता में भिन्नता रखी गई है। इस नियम में उल्लेखित है –

28. Complete exemption from payment of the tax.- Motor Vehicles of the following classes are totally exempt from liability to taxation:-

(i) Private vehicles other than transport vehicles and construction equipment vehicles registered outside Rajasthan, brought temporarily in Rajasthan and used or kept for use therein for a period not exceeding 30 days:

उपरोक्त नियम के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि राजस्थान मोटरयान कराधान नियम 28 (i) के अनुसार 30 दिवस से अधिक की अवधि के लिये राजस्थान में रहने पर मात्र निजी यानों के लिये ही एकबारीय कर का आरोपण लागू होता है।

अतः निर्देशत किया जाता है कि अन्य राज्य में पंजीकृत संन्निर्माण उपस्कर यान/परिवहन यानों के राजस्थान राज्य में आने एवं निरंतर रहने पर तथा अधिसूचना संख्या प.6(252)परि/कर/मु./05/4जी–163 दिनांक 09.03.2007 के अनुसार 30 दिवस का कर जमा कराया जाता है तो ऐसी स्थिति में ऐसे वाहनों से एकबारीय कर जमा किये जाने की मांग नहीं की जाये। वाहन स्वामी यदि चाहे तो वह स्वयं स्वेच्छा से ऐसे मामलों में एकबारीय/30 दिवस से अधिक की अवधि के लिये भी मासिक कर जमा करा सकता है।

संन्निर्माण उपस्कर यानों के राजस्थान में आने व वापस लौटने पर वाहन स्वामी/ड्राईवर ऐसे वाहनों की प्रविष्टी नजदीक पडने वाले प्रथम जिला परिवहन कार्यालय/कर संग्रह केन्द्र पर दर्ज करायेंगे। ऐसे वाहन जिस परिवहन जिले में कार्य करेंगे उस जिले के कराधान अधिकारी को निर्धारित प्रोफॉर्मा R.S.4.12 में सूचित करेंगे तथा संबंधित कराधान अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि ऐसे वाहनों का अभिलेख संधारित करेंगे तथा वाहन का नियमित रूप से कर जमा होना सुनिश्चित करेंगे।

(राजेश यादव)
परिवहन आयुक्त
एवं शासन सचिव

क्रमांकः– प.6(262)परि/कर/मु./2007/6711-18

जयपुर, दिनांकः 11/06/19

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव।
2. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
3. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।
4. समस्त जिला परिवहन अधिकारी।
5. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट, एस.ए. को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड़ करने हेतु। ।
6. समस्त प्रभारी कर संग्रह केन्द्र।
7. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (कर)